न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 32/17/दावा /

1. मनफूली देवी पत्नि श्री गोपाल लाल जाति यादवव निवासिनी एल–3 शिवनगर, गिरधारीपुरा हीरापुरा तहसील व जिला जयपुर।

– वादिया

ब ना म

1. रावत सिंह पुत्र तेज़सिंह
2. भंवरसिंह
3. उम्मेद सिंह
4. हणमान
5. भीव सिंह

} पुत्रगण मालीराम

समस्त जाति राजपूत निवासीगण मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

6. उप–पंजीयक, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. पटवारी, हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
9. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा दांतारामगढ जरिये शाखा प्रबंधक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा,उद्घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थितिः

1. श्री बंशीधर बाज्या वकील वादिनी की ओर सें।

निर्णय

दिनांक–16.07.2019

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 8.07 हैक्टेयर किता 1 कुल रकबा 8.07 हैक्टेयर तन ग्राम मेई पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो वादिनी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारीशुदा अविभाजित भूमियां है। उक्त भूमि में सें वादिया ने दिनांक 29.07.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 2 से उसके हिस्से 1/3 में सें हिस्सा 1/6 को क्रय किया था । तब से वादिया क्रयशुदा भूमि पर काबिज काश्तकार है तथा उपयोग उपभाग कर रही है तथा शेष हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 ता 5 काबिज काश्त है। वादिया अपनी क्रयशुदा भूमि की खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने की अधिकारी है। उक्त विवादित भूमि को पक्षकारान कभी शामलाती रूप से कभी अंदाजे सें बाटकर काश्त करते आ रहे है

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

लेकिन अभी तक विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की रिकॉर्ड में दर्ज होने की वतह सें प्रतिवादीगण आये दिन वादिया सें लड़ाई झगड़ा करते है तथा वादिया के कब्जे मे हस्तक्षेप करते है। प्रतिवादीगण अपने हिस्से सें अधिक भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्ठा में है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादिया के हिस्से की भूमि को बलपूर्वक हड़पने में कामयाब हो गये तो वादिया को भारी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी कानून में किसी भी प्रकार संभव नहीं है तथा वादिया के अधिकारों का हनन होगा। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 8.07 हैक्टेयर वाके ग्राम मेई पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ का विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा बंटवारा किया जाकर वादिया का अलग एकांकी खाता कब्जा व लगान निर्धारित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में संशोधन के आदेश पारित किये जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 9 की तामीली रिपोर्ट प्राप्त हुई। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीयां अधिवक्ता द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने पर सहमति जाहिर की गई।

3. हमने वादी योग्य अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वादपत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमियों का वकील वादिया ने मौके व रिकॉर्ड अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत बंटवारा किये जाने का बहस के दौरान निवेदन किया गया। ग्राम मेई पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमीबंदी संवत् 2070–73 के खसरा नम्बर 44 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है तथा वादी अपने हिस्से का कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहता है अतः वादी वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि ग्राम मेई पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ की की खसरा नम्बर 44 रकबा 8.07 हैक्टेयर में सें वादीया के हिस्से का मौके व रिकॉर्ड के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा बंटवारा किया जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तों के अनुसार जारी की जाती है–

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

1. यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 21.08.2019 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री जारी हो वादी मौका क़मिश्नर फीस 500/—रू0 अदा करेगें। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बंइन्तजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिंनाक 21.08.2019 को पेश हो।

यह आदेश आज दिंनाक 16.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 32/17/दावा /

1. मनफूली देवी पत्नि श्री गोपाल लाल जाति यादवव निवासिनी एल–3 शिवनगर, गिरधारीपुरा हीरापुरा तहसील व जिला जयपुर।

— वादिया

ब ना म

1. रावत सिंह पुत्र तेजसिंह
2. भंवरसिंह
3. उम्मेद सिंह
4. हणमान
5. भीव सिंह

(2 से 5) पुत्रगण मालीराम

समस्त जाति राजपूत निवासीगण मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

6. उप–पंजीयक, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. पटवारी, हल्का मेई तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
9. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा दांतारामगढ जरिये शाखा प्रबंधक।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा,उद्घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थितिः

1. श्री बंशीधर बाज्या वकील वादिया की ओर सें।

निर्णय

दिनांक–08.07.2019

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

प्राथमिक डिकरी व मुकद्में इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी , मुकाम दांतारामगढ
इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

मनफूली देवी — बनाम — रावत सिंह आदि

दावा बाबत, बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 32 / दावा सन् 2017 — निर्णय दिनांक 16.07.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **बंशीधर बाज्या** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि विवादित कृषि आराजियात भूमि ख0 नं0 44 रकबा 8.07 हैक्टेयर में सें वादीयां के हिस्से का मौके एवं रिकॉर्ड अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमीश्नर नियूक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री निम्नांकित शर्तो पर जारी की जाती है :–

1. **यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।**
2. **पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।**
3. **यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 21.08.2019 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें**

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.07.2019 को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ (सीकर)

दस्तखत ओहदे
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	—	00		0	00
मीजान	7	00	मीजान	0	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ